



2026:AHC:25001

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 2681 / 2026

शकील

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता

: राकेश कुमार मिश्र

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता

: अरुण कुमार पाण्डेय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याची के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 08.02.2021 के आधार पर शुरू की गई थी, जिसे वाद संख्या 00963/21 (ग्राम सभा बनाम शकील) के रूप में पंजीकृत किया गया था। उक्त कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 4/तहसीलदार, तहसील शाहाबाद, जनपद रामपुर द्वारा दिनांक 20.10.2022 को एक आदेश पारित किया गया था, जिसके माध्यम से याची के विरुद्ध बेदखली का आदेश दिया गया था। उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 (5) के तहत अपील प्राधिकारी के समक्ष वैधानिक अपील दायर की गई वाद संख्या 1226, / 2025, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या D202513590001226, जिसे प्रतिवादी संख्या 3-अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), रामपुर द्वारा दिनांक 20.11.2025 को खारिज कर दिया गया था।

2. विभिन्न अन्य तर्कों के अतिरिक्त, याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि दोनों आदेश पूर्णतः सकारण आदेश नहीं हैं और प्राकृतिक न्याय के पूर्ण उल्लंघन में पारित किए गए हैं। उन्होंने ऋषिपाल सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2023 (1) एडीजे 154 के पैराग्राफ-74 में प्रतिपादित विधि पर भरोसा जताया।

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा इस तथ्य का खंडन नहीं किया गया है।

4. मामले के इस स्वरूप को देखते हुए, न्यायालय की यह राय है कि प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश स्वतः अवैध हैं और इस न्यायालय द्वारा ऋषिपाल सिंह (सुप्रा) के मामले में प्रतिपादित विधि के उल्लंघन में हैं। अतः, प्रतिवादी संख्या 3-अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), रामपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.11.2025 तथा प्रतिवादी संख्या 4/तहसीलदार, तहसील शाहाबाद, जनपद रामपुर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2022 निरस्त किए जाने योग्य हैं और एतद्वारा उन्हें निरस्त किया जाता है तथा रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

5. प्रतिवादी संख्या 4 को निर्देशित किया जाता है कि वे विधि के अनुसार शीघ्रता से नया आदेश पारित करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि याची कोई अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा।

6. रिट याचिका स्वीकार की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

4 फरवरी, 2026

सकलेन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"